बिहार फिर शर्मसार : पीड़िता छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी हर पुकार आरोपियों की दरिंदगी के आगे दम तोड़ गई

जमुई के बाद समस्तीपुर में सरेराह युवती से छेड़छाड़

शर्मनाक

समस्तीपुर, निज प्रतिनिधि। जमुई के बाद समस्तीपुर में युवती से छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद बिहार एक बार फिर शर्मसार हो गया है। कुछ आरोपियों ने सरेराह युवती-युवती से बदसलूकी की। पीड़िता छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी हर पुकार आरोपियों की दरिंदगी के आगे दम तोड़ती रही।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के लाटबसेपुरा गांव का बताया जा रहा है। इसमें स्कूटी सवार युवक और युवती को सुनसान स्थान पर घेरकर शोहदों ने अभद्रता और गाली-गलौज की। वीडियो में दिख रहा है कि लोग युवक व युवती से मारपीट पर उतारू हैं। वीडियो में कुछ युवक हाथ में हंसुआ लहराते और युवती का दुपट्टा खींचते दिख रहे हैं। युवती हाथ जोड़कर रोते हुए छोड़ने की गुहार लगाती नजर आ रही है।

हंसुआ दिखाकर दुपट्टा खींचने का आरोप : वायरल वीडियो में स्कूटी से जा रहे युवक और युवती को कुछ लोगों द्वारा सुनसान स्थान पर रोकते दिखाया गया है। भीड़ में शामिल कुछ युवक हाथ में हंसुआ लहराते हुए युवती को डरा-धमका रहे हैं। इसी दौरान एक युवक युवती का दुपट्टा खींचता दिख रहा है। दोनों के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। वीडियो में युवती दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए लोगों से छोड़ने की गुहार लगाती दिख रही है। भीड़ में शामिल लोग उसके परिजनों को मौके पर बुलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मारपीट जैसी स्थिति बनी हुई दिखती है।

वीडियो की सत्यता और स्थल की जांच होगी : कर्पूरीग्राम मामले की जांच के बीच मुसरीघरारी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

विपक्ष हमलावर : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। गुरुवार को उन्होंने पटना में पूर्व पार्षद को गोली मारने और छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए।

चार आरोपियों को जेल भेजा, खुद ही वीडियो बनाकर वायरल किया था

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने सभी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 15 सितंबर के आसपास की है। युवती एक युवक के साथ बूढ़ी गंडक नदी के बांध बाईपास रोड पर जा रही थी। दोनों सड़क किनारे रुककर तस्वीरें ले रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे स्थानीय युवकों ने दोनों को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने यह वीडियो किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था, जहां से यह वायरल हुआ।

शराब के धंधे से जुड़े हैं दो आरोपी

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार, राहुल कुमार, रामबाबू सहनी और अवधेश पासवान के रूप में की है। मुख्य आरोपी विकास कुमार पिता रामसुंदर शर्मा कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार वह शराब तस्करी के दर्जनों मामलों में नामजद है और कई बार जेल जा चुका है। दूसरा आरोपी राहुल कुमार पिता अरुण पासवान भी जगतसिंहपुर का है।

बिहार के समस्तीपुर में बीच सड़क पर युवती के साथ अभद्रता करते युवक। दूसरी तस्वीर में युवती बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन आरोपी उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है। • सोशल मीडिया से

सम्राट बोले- दोषियों को एक माह में सजा

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जमुई में छात्रा के साथ हुई घटना के मामले में दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई करा एक माह में सजा दिलाई जाएगी। जमुई कांड की पीड़िता ने अपने माता-पिता और परिवार के लोगों के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास में पीड़िता और उसके परिवार से बात की।

अंबेडकरनगर में किशोरी से दरिंदगी

अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव से किशोरी के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप का मामला सामने आया है। किशोरी को लखनऊ से बरामद करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी रईस को गिरफ्तार किया है। विवेचना में दो अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

कोचिंग से लौट रही छात्राओं के साथ दरिंदगी

शर्मनाक

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। जमुई की खौफनाक घटना के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में महिला सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ गईं। बुधवार रात कोचिंग से लौट रहीं हिंदू कॉलेज की दो छात्राओं से कार सवार चार युवकों ने न सिर्फ सरेराह छेड़छाड़ की, बल्कि गाड़ी में खींचकर अपहरण का दुस्साहस भी किया। छात्राओं की मुस्तैदी और शोर मचाने के कारण आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है।

मुखर्जी नगर पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। दोनों छात्राएं बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे जब हकीकत पार्क के पास से पैदल गुजर रही थीं, तभी एक सफेद रंग की सफारी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। कार में सवार चार युवकों ने छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसीं। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया और तेजी से वहां से निकलने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाड़ी उनके पीछे लगा दी। आरोपियों ने उन्हें गाड़ी में खींचने का प्रयास किया। छात्राओं के शोर मचाने पर लोग जुटने लगे तो आरोपी फरार हो गए।

• प्रतीकात्मक एआई तस्वीरें

सीबीआई ने 21 साल से फरार आरोपी दबोचा

नई दिल्ली। सीबीआई ने अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज मामले में 21 वर्षों से फरार आरोपी सुरेश कुमार पद्मिनी बिनी उर्फ बिनी एसपी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार, यह मामला 31 जनवरी 2005 को दर्ज किया गया था। आरोप है कि वर्ष 2004-05 के दौरान आरोपी ने के. सुनील के नाम से अपनी पहचान बताकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त किए। इसके बाद आरोपी ने कोच्चि के एसआरएम रोड स्थित किराए के परिसर से एक अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज संचालित किया। इसके माध्यम से वह इंटरनेट के माध्यम से आने वाली अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कॉल को अनधिकृत तरीके से रूट करता था। सरकार को करीब 12.69 लाख का नुकसान होगा।

देश 30s

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

मधेपुरा। उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के उदा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर छात्र-छात्राओं के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और उसे जमुई और समस्तीपुर जैसी घटना से जोड़े जाने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। एसपी संदीप सिंह ने गुरुवार को मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की तहकीकात की। उन्होंने बताया कि उदा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर छात्राओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई है।

युवती के साथ मंदार पर्वत पर अभद्रता

बांका। जमुई में नाबालिग के साथ अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बांका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंदार पर्वत पर भी युवती के साथ कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में छह-सात युवकों के खिलाफ केस दर्ज की गई है। पुलिस को 22 सितंबर को व्हाट्सऐप पर वीडियो प्राप्त हुआ।

प्रियंका ने वायनाड में बेकिंग में आजमाए हाथ

वायनाड (केरल)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को राजनीति से इतर एक अलग अंदाज में नजर आईं। वह के किनफ्रा पार्क की एक बेकरी में पहुंचीं और केक पर क्रीम से सजावट कर बेकिंग में हाथ आजमाया। उन्होंने बेकरी में तैयार किए गए केक पर क्रीम से सजावट भी की। उन्होंने केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) के उद्यमियों के साथ अधिकारियों, कर्मचारियों से बात की।

दाखिले में फर्जीवाड़े का एक और आरोपी पकड़ा

देहरादून। एमबीबीएस दाखिले में फर्जीवाड़े के एक और आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे रायपुर थाना क्षेत्र में थानो रोड से कार समेत पकड़ा गया। एसआईटी के अनुसार, आरोपी की कार से 5.58 लाख रुपये नकद भी मिले। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में बताया कि पकड़ा गया आरोपी 37 वर्षीय धीरज श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में भोपाल के पिपलानी का रहने वाला है।

नीट पीजी-2026 के नतीजे घोषित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने गुरुवार को नीट-पीजी 2026 के नतीजे घोषित किए। सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता कट ऑफ 262 अंक है, जो 50वें परसेंटाइल के बराबर है। सामान्य श्रेणी के मानक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 244 अंक है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (इन श्रेणियों के मानक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों सहित) के लिए कट ऑफ 226 अंक (40वां परसेंटाइल) है।

कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। दोषी ने छह साल की सौतेली बेटी का यौन शोषण किया था और हत्या कर दी थी। दोषी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा गया था। पीठ ने कहा कि यह अपराध बहुत गंभीर है और इसमें एक असाधारण गंभीर पहलू भी है, लेकिन अपील करने वाले के मामले में सजा कम करने की ठोस वजहें भी हैं।

तीन राज्यों में तेज हवाओं और बारिश से आफत

मौसम का मिजाज

नई दिल्ली, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के कलिंगपटनम तट से टकराए तूफान के कारण दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का दौर जारी है। ओड़िशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा में निचले और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से 8,082 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

आईएमडी ने बताया कि तट पार करते समय मौसम प्रणाली की गति करीब तीन किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से अधिकतम हवाएं चलीं। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा और गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर केंद्रित था।

ओडिशा के छह जिले प्रभावित, चार पुल डूबे

भुवनेश्वर। ओडिशा के कई हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हुई। गंजाम, गजपति, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा और नबरंगपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। मलकानगिरी में राष्ट्रीय राजमार्ग-326 के चार पुलों पर चार से पांच फीट पानी बहने से मलकानगिरी-मोटू मार्ग पर यातायात रोक या गया।

फैसला : सिर्फ दूध से बना उत्पाद ही पनीर कहलाएगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अब सिर्फ दूध से बने उत्पाद को ही पनीर लिखा जा सकेगा। नए नियमों के बाद भविष्य में जो उत्पाद दूध से नहीं बना हो, उसे पनीर नहीं लिखा जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संदर्भ में मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए मसौदा जारी किया है। यह कदम एनालॉग उत्पादों को पनीर के रूप में प्रचारित करने के मद्देनजर उठाया है, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो रहा है। एनालॉग यानी कृत्रिम पनीर की बिक्री गुमराह करने वाली है। एफएसएसएआई को मिली रिपोर्ट के अनुसार, दूध से बने पनीर के मुकाबले एनालॉग पनीर काफी सस्ता होता है, जिसके कारण होटल, रेस्तरा आदि में इसे पनीर बताकर बेचा जाता है, यह धोखाधड़ी है।

क्या है एनालॉग पनीर

एनालॉग पनीर ऐसा कृत्रिम उत्पाद है, जो देखने में और काफी हद तक स्वाद में भी पनीर जैसा लगता है, लेकिन यह प्राकृतिक दूध से बना नहीं होता है। यह वनस्पति तेल जैसे पाम आयल, आलू या मक्के के स्टार्च, सोया प्रोटीन और कुछ रसायनों से बनाया जाता है।

ऑनलाइन अश्लील सामग्री रोके केंद्र : कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े ऑनलाइन अश्लील सामग्री (सीएसईएएम) के मामले को बहुत गंभीर बताया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसी सामग्री के इंटरनेट पर आने से पहले ही रोकने को ठोस कदम उठाए जाएं। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र से ऐसे उपाय करने पर विचार करने को कहा जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे कंटेंट ऑनलाइन अपलोड या सामने न आए। कोर्ट 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' (जेआरसीए) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सेशन कोर्ट जीवन भर जेल की सजा नहीं दे सकता

नई दिल्ली। एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सत्र अदालत किसी आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते समय यह आदेश नहीं दे सकता कि दोषी अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। यह फैसला कानूनी सवाल पर था कि क्या ट्रायल कोर्ट, आईपीसी की धारा-302 के तहत हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते समय यह कह सकता है कि दोषी अपनी बची हुई जिंदगी जेल में बिताएगा और उसे सजा में छूट या सजा कम करने का कानूनी फायदा नहीं मिलेगा।

कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान
सी.जी. सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-226002
वेबसाईट: https://cancerinstitute.edu.in, ई-मेल: procurementservicesksssci@gmail.com

Hospital Laundry Services at KSSSCI

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **KSSSCI** में **Hospital Laundry Services** हेतु **बिड संख्या GEM/2026/B/8071938 दिनांक** 24.09.2026 **GeM** पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। सभी इच्छुक सेवा प्रदाताओं/बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे **GeM** बिड दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपनी बोलियां **GeM** पोर्टल पर प्रस्तुत करें। निदेशक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर किसी एक अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। **नोटः 1. अकाउंट पेयी, एफडीआर (FDR), बैंकर्स चेक अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से प्रस्तुत ईएमडी **(EMD)** की मूल प्रति भौतिक रूप से स्वीकार की जाएगी तथा इस बिड हेतु वैध मानी जाएगी। तथापि, संबंधित **(UTR) संख्या एवं स्कैन की गई प्रति** इस **GeM** बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। **2.** स्थल निरीक्षण **(Site Visit)** अनिवार्य है।
निविदा संबंधी दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट **www.cancerinstitute.edu.in** पर उपलब्ध है।

Advt No:- KSSSCI/Tender-18/2026-27 निदेशक

Ref.: UPERC/Legal&Lic/90/780 **Dated: 24.09.2026**

Public Notice

Application for grant of Parallel Distribution License in the area of Data Centre Park being developed by DC Development Noida Limited at Plot No. C-20/1A/10, Sector-62, Noida, Uttar Pradesh has been filed in in Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) by M/s Adani Energy Solutions Step Eleven Limited along with M/s Adani Energy Solutions Limited (Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi circle, Antigram, SG Highway, Ahmedabad, Gujarat-382421). The salient features of application were published by the applicant in the following newspapers: English- Indian Express and Hindustan Times (Lucknow/Delhi), Hindi- Amar Ujala and Hindustan (Lucknow/Delhi) on 12.08.2026 and on its website www.adanienergysolutions.com.

The public notice also invited comments from various stakeholders on the application. Comments have been received in response to above notifications by the All India Power Engineers Federation, Uttar Pradesh Rajya Vidyut Parishad Abhiyanta Sangh and Prayas Energy Group.

UPERC decides to hold a public hearing on 16.10.2026 at 4:00 PM in the office of the Commission at Lucknow to hear various interested stakeholders. All the stakeholders who wish to participate in the Public Hearing shall submit their written suggestions and objections in hard copies (one original + 5 sets of copies) to the Secretary, UPERC, on or before 15.10.2026. The submission should also be sent in PDF and Word format on the email id: secretary@uperc.org.

Secretary

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेन्डर नं०: पीआरवाईजे-सिग-043-2026-27 **दिनांक: 23.09.2026**

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियन्ता/समन्वय/उत्तर मध्य रेलवे / प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एंव उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई-निविदा निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 21.10.2026 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

निविदा नं.:- पीआरवाईजे- सिग-043-2026-27	
कार्य का विवरणः- अलीगढ़, हाथरस किला, चुनार, सक्तेशगढ़ और शंकरगढ़ स्टेशनों के गुड्स शेड में सीसीटीवी कैमरो का प्रावधान।	
अनुमानित मूल्य (₹):- 1,73,06,901/-	**बिड सिक्योरीटी (₹):-** 3,46,100/-
निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹):- 0/-	**कार्य समापन की अवधिः-** 12 माह
निविदा बन्द होने की तिथिः- 21.10. 2026	
निविदा प्रपत्रों की उपलब्धताः- निविदा प्रपत्र **www.ireps.gov.in** पर निविदा खुलने की तिथि से 21 दिन पहलें उपलब्ध हो जायेंगे।	
बयाने की राशि जमा करना एवं उसका रूपः- निविदाओं को उपरोक्त बिड सिक्योरीटी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान गेटवे द्वारा की जायेगी। यदि निविदा दाता बिड सिक्योरीटी उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जीसीसी के अनुसार जमा करते हैं तो उनका निविदा स्वीकार किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा जमा की गयी बिड सिक्योरीटी बैंक गारंटी के रूप में है तो यह उचित स्टांप शुल्क के अनुसार होना चाहिय। बैंक गारंटी जमा करते समय यह उ०प्र० स्टांप अधिनियम 2008 की धारा 13 एवं 24 और समय-समय पर निर्धारित दर के अनूसार होना चाहिये। बिना बिड सिक्योरीटी वाली निविदायें खारिज कर दी जायेंगी।	
निविदा खुलने का समय, तिथि तथा स्थानः- निविदा पूर्व निर्धारित तिथि को 12.30 बजे या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जायेगी। अगर उस दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहे तो निविदा अगले दिन, कार्य दिवस पर खोली जायेगी।	
निविदा की वैधताः- निविदा खुलने के 60 दिन तक	
निविदा डीलिंग हेतु रेलवे के अधिकारः- रेलवे प्रशासन का किसी भी समय बिना कारण बताये कोई एक या सारी निविदाओं को स्थगित / संशोधित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	
उसी प्रकृति के कार्य के लिए न्यूनतम वांछनीय आधारः- एनी वर्क इंवाल्विंग सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम / वीडियो सर्विलेंस सिस्टम / एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल एंड पैकेज स्क्रीनिंग सिस्टम, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम एंड देयर इंटीग्रेशन। **2177/26(D)**	

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
11-ए/4, नसीबपुर, बख्तियारा, अशोक नगर, प्रयागराज-211001
ई-मेल : sarall@bankofbaroda.co.in, मो0नं0- 9554956629

बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना
"परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) सपठित नियम 9 (1) के प्रावधान को देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतत्द्वारा **जनसाधारण एवं ऋणी, बंधककर्ता, जमानतकर्ता तथा कानूनी वारिसों** को विशेष रुप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **सांकेतिक कब्जे** में लिया गया है को बैंक के निम्नलिखित खाते के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **''जो है जहाँ है'', ''जो है जैसा है''** एवं **''जो कुछ भी है''** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता/कानूनी वारिसों /प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (इएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

नीलामी की तिथि और समयः 13.10.2026, दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक **ईएमडी की अंतिम तिथि और समयः 12.10.2026, शाम 05:00 बजे तक**

क्र0 सं0	ऋणियों/ जमानतकर्ताओं / बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भारों के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि / ई-नीलामी का समय / ईएमडी की अन्तिम तिथि व समय	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण के लिए तिथि एवं समय
1.	**ऋणीः-श्री आशीष कुमार** पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद साहू एवं **श्रीमती नीलम साहू** पत्नी श्री आशीष कुमार **दोनों का पता-1-** 277/266, नई बस्ती, कीडगंज, प्रयागराज-211003, **पता-2-** मकान संख्या 222 (पुराना) 426 (नया), मोहल्ला कटघर, परगना और तहसील सदर, जिला प्रयागराज-211003, **पता-3-** 229/268, नई बस्ती, कीडगंज, प्रयागराज-211003	साम्यिक बंधक संपत्ति का सभी भाग एवं भूखण्ड मकान संख्या 222 (पुराना) 426 (नया) का शेष भाग, जोकि मोहल्ला कटघर, परगना और तहसील सदर, जिला प्रयागराज में श्री आशीष कुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद साहू और श्रीमती नीलम साहू पत्नी श्री आशीष कुमार के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 171.63 वर्ग मीटर **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी-पूरब-** 15 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** मकान नंबर 214, **उत्तरः** अन्य (जे. मैसी) का मकान , **दक्षिणः** अन्य का मकान	दिनांक 17.09.2026 तक संविदात्मक बकाया राशि ₹ **72,84,166.47** + ब्याज + अन्य खर्चे	13.10.2026 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक / 12.10.2026 शाम 05:00 बजे तक	₹ 76,82,931/- / ₹ 7,68,293.10 / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	दिनांक 12.10.2026 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
2.	**ऋणीः-श्री भुनेश सिंह** पुत्र श्री देवराज सिंह निवासी नयापुरा, दोहरिया, मेजा, प्रयागराज-212305	साम्यिक बंधक सम्पत्ति गाटा/प्लाट संख्या 814 मि., जोकि मौजा दोहरिया, टप्पा 84, परगना खैरागढ़, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज मे श्री भुनेश सिंह के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल- 0.0340 हेक्टेयर **चौहद्दी-उत्तरः** चक मार्ग (कच्चा) **दक्षिणः** मुकीर(देवराज सिंह) की शेष संपत्ति **पूरब-** मुकीर (देवराज सिंह)की शेष संपत्ति **पश्चिमः** मुकीर (देवराज सिंह) की शेष संपत्ति	दिनांक 17.09.2026 तक संविदात्मक बकाया राशि ₹ **29,80,933.51** + ब्याज + अन्य खर्चे	13.10.2026 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक / 12.10.2026 शाम 05:00 बजे तक	₹ 10,31,000/- / ₹ 1,03,100/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	दिनांक 12.10.2026 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
3.	**ऋणीः- (1) मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम प्रोपराइटर श्रीमती जमीला खातून** पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद फ़ज़ल हुसैन कार्यालय डी-604, गोल्डन हाइट अपार्टमेंट, चौफटका, प्रयागराज-211011 (उ0प्र0) एवं शरद 2, 202, मौसम विहार अपार्टमेंट, कालिंदीपुरम, राजरूपपुर, प्रयागराज-211011 और मकान संख्या 51, दोंदीपुर, प्रयागराज सिटी, प्रयागराज-211003 **जमानतकर्ता - श्री मोहम्मद शारिक हुसैन** पुत्र स्वर्गीय मो. फजल हुसैन, **मो. शिराज हुसैन** पुत्र स्वर्गीय मो. फजल हुसैन, **मो. जाकिर हुसैन** पुत्र स्वर्गीय मो. फ़ज़ल हुसैन और **श्रीमती नशरा फ़ज़ल** पुत्री स्वर्गीय मोहम्मद फजल हुसैन **सभी निवासी** - डी-604, गोल्डन हाइट अपार्टमेंट, चौफटका, प्रयागराज-211011 (उ0प्र0) एवं शरद 2, 202, मौसम विहार अपार्टमेंट, कालिंदीपुरम, राजरूपपुर, प्रयागराज-211011 और मकान नंबर 51, दोंदीपुर, प्रयागराज सिटी, प्रयागराज-211003	लीज पर ली गई अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 640 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट नंबर 1-5, मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट, ग्राम मखऊपुर, नेवादा, परगना और तहसील चायल, जिला कौशांबी-212202 में श्रीमती जमीला खातून पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद फजल हुसैन के नाम से स्थित है। दिनांक 02.08.2011 की लीज **डीड के अनुसार चौहद्दीः- पूरब-** महाराज राइस मिल का प्लॉट संख्या 6 **पश्चिमः** प्रशासनिक ब्लॉक **उत्तरः** मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट रोड **दक्षिणः** निजी खाली भूमि	दिनांक 17.09.2026 तक संविदात्मक बकाया राशि ₹ **78,38,387.66** + ब्याज + अन्य खर्चे	13.10.2026 / दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक / 12.10.2026 शाम 05:00 बजे तक	₹ 82,01,250/- / ₹ 8,20,125/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	दिनांक 12.10.2026 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
4.	**ऋणीः-श्रीमती मीनाक्षी सिंह** पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह और **श्री अजीत कुमार सिंह** पुत्र स्वर्गीय नेब्बू लाल सिंह , दोनों निवासी 349/2M/ 1M, चांदपुर सलोरी, तेलियरगंज, ज़िला प्रयागराज **पता** ग्राम खानपुर , पोस्ट मेजा रोड, तहसील मेजा, ज़िला प्रयागराज-212305	सम्पत्ति का सभी भाग एवं भूखण्ड प्लॉट नंबर 306 मिन. जोकि ग्राम खानपुर, टप्पा 84, तहसील मेजा, परगना खैरागढ़, ज़िला प्रयागराज में श्रीमती मीनाक्षी सिंह पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह के नाम से स्थित है। क्षेत्रफल 0.013 हेक्टेयर **चौहद्दी-उत्तरः** श्री अजीत कुमार सिंह का प्लॉट **दक्षिणः** ज्ञान चंद्र और अन्य का प्लॉट **पूरब-** ग्राम सभा की भूमि **पश्चिमः** बेनी माधव और अन्य का प्लॉट	दिनांक 17.09.2026 तक संविदात्मक बकाया राशि ₹ **42,15,656.67** + ब्याज + अन्य खर्चे	13.10.2026 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक / 12.10.2026 शाम 05:00 बजे तक	₹ 5,85,000/- / ₹ 58,500/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	दिनांक 12.10.2026 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
5.	**ऋणी-मेसर्स पूनम देवी प्रोपराइटर श्रीमती पूनम देवी** पत्नी श्री श्रवण कुमार उर्फ प्रबल कुमार **पंजीकृत पता** ग्राम एवं पोस्ट बरौत, तहसील हंडिया, प्रयागराज-221503	साधारण बंधक प्लॉट संख्या 533 के शेष भाग पर निर्मित भवन जोकि श्री प्रबल कुमार उर्फ श्री श्रवण कुमार के स्वामित्व में है और श्रीमती पूनम देवी को पट्टे पर दिया गया है; तथा यह सम्पत्ति मौजा बरौत, परगना केवई, तहसील हंडिया, प्रयागराज -221503 में स्थित है। **क्षेत्रफल** 0.0110 हेक्टेयर **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी -पूरब-** ओम प्रकाश का मकान **पश्चिमः** कृष्ण प्रसाद का मकान **उत्तरः** रास्ता और कल्लू का मकान **दक्षिणः** प्रबल उर्फ श्रवण कुमार की भूमि	दिनांक 17.09.2026 तक संविदात्मक बकाया राशि ₹ **28,74,273.54** + ब्याज + अन्य खर्चे	13.10.2026 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक / 12.10.2026 शाम 05:00 बजे तक	₹ 11,52,000/- / ₹ 1,15,200/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	दिनांक 12.10.2026 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
6.	**ऋणीः-श्री तुलसीदास द्विवेदी** पुत्र राम सेवक द्विवेदी **जमानतकर्ता- श्रीमती निशा देवी** पत्नी श्री तुलसीदास द्विवेदी, दोनों निवासी मकान संख्या 119, नैनी मनैया, तहसील करछना, जिला प्रयागराज-212301	सम्पत्ति का सभी भाग एवं भूखण्ड मकान संख्या 119/आराजी संख्या 283/मौजा मनैया, परगना-अरैल, तहसील करछना, जिला - प्रयागराज में श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री तुलसीदास द्विवेदी के नाम से स्थित है जिसका क्षेत्रफल 380.60 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी- उत्तरः** लगभग 10 फीट चौड़ी ब्रिक सोलिंग सड़क **दक्षिणः** आराजी संख्या 283 का भाग, **पूरब-** आराजी संख्या 283 का भाग **पश्चिमः** लगभग 15 फीट चौड़ी मनैया लिंक रोड,	दिनांक 17.09.2026 तक संविदात्मक बकाया राशि ₹ **25,51,934.43** + ब्याज + अन्य खर्चे	13.10.2026 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक / 12.10.2026 शाम 05:00 बजे तक	₹ 27,48,330/- / ₹ 2,74,833/- / ₹ 10,000.00	सांकेतिक	दिनांक 12.10.2026 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://baanknet.com देखें। इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0- **9839335551** से सम्पर्क करें।

दिनांक- 18.09.2026 **स्थान- प्रयागराज** **प्राधिकृत अधिकारी, आर.ओ. सार्ब प्रयागराज, बैंक ऑफ बड़ौदा**